मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

ासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर ए एस
स्व वाद संख्या :–208/2024

1. प्रिन्स पुत्र कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. कुलदीप पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुमित्रा पुत्री बृजलाल पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. नितिन पुत्र जगदीश झारेड जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. शुभम पुत्र जगदीश झारेड जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. विमला देवी पत्नी जगदीश झोरड़ जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. शिवानी पुत्री कुलदीप पत्नी इन्द्रपाल जाति जाट निवासी अराईयांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. शिल्पा पुत्री कुलदीप पत्नी संजय जाति जाट निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. शालिनी पुत्री कुलदीप पत्नी धीरज जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय दिनांक :–...06.09.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.09.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क). वादी प्रिन्स को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 5 सी.डी.आर. के खाता संख्या 12/73 मे कुल 10.120 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 4 शुभम का 329/3036 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 नितिन के 1/6 हिस्सा में से 11/120 हिस्सा।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 नितिन को प्राप्त आराजी — चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के खाता संख्या 236 / 205 मे कुल 1.391 हैक्टर चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 231 / 240(35) किला नम्बर 12, 13, 14, 15 / 1 / 0.228, 15 / 2 / 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला।

(ग) प्रतिवादी संख्या 4 शुभम को प्राप्त आराजी — चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 231 / 240(35) किला नम्बर 16 / 1 / 228, 16 / 2 / 0.025 हैक्टर गैर मुमकिन खाला 17 / 1 / 0.126 हैक्टर तथा चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के खाता संख्या 234 / 205 मे कुल 1.3915 हैक्टर आराजी।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 6 सी.डी. आर. के खाता संख्या 234 / 205 मे से कुलदीप, नितिन, विमलादेवी, सुमित्रा का नाम कलमजन, चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के खाता संख्या 235 / 205 मे से कुलदीप का नाम कलमजन, चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के खाता संख्या 236 / 205 मे से विमला देवी व कलमजन, चक नम्बर 6 सी.डी.आर. के खाता संख्या 12 / 73 मे से शुभम का नाम कलमजन, चक नम्बर 5 सी.डी.आर. के खाता संख्या 12 / 73 मे से शुभम का नाम कलमजन व नितिन का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---

Scanned with CamScanner